न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर॰ए॰एस॰)

अपील सं. 06 / 2016 दर्ज दिनांक–20.06.2016

जीएमएस नं. –2016 / 00262

नानची देवी पुत्री सुलतान पत्नी प्रभातीलाल जाति जाट निवासी टोंक ढाका की ढाणी, तहसील नवलगढ़, जिला झुझुंनू हाल आबाद ग्राम कुशलपुरा तहसील व जिला सीकर

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री दयाराम पुत्र श्री सुलतान
2. श्री पालाराम पुत्र श्री सुलतान
3. श्री रामावतार पुत्र श्री सुलतान
4. बाली देवी पत्नी श्री सुलतान जाति जाट निवासी टोंक ढ़ाका की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राज०)
5. प्रभाती देवी पुत्री श्री सुलतान पत्नी श्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी टोंक ढ़ाका की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राज०) हाल आबाद ग्राम टिटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज०)
6. केशरी देवी पुत्री श्री सुलतान पत्नी श्री कल्याण सिंह जाति जाट निवासी टोंक ढ़ाका की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राज०) हाल आबाद ग्राम कुशलपुरा तहसील व जिला सीकर (राज०)
7. सरपंच ग्राम पंचायत टोंक छिलरी पंचायत समिति नवलगढ़ जिला झुझुंनू
8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू (राज०) जरिये शाखा प्रबन्धक

– रेस्पोडेन्ट्स

वकील अपीलार्थी : – श्री प्रदीप कुमार झाझडिया
वकील रेस्पोडेन्ट 3 :– श्री सुरेश सिगड
वकील रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6:– श्री सुनील झाझोट
रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,4,7,8 : – अनुपस्थित

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 20.02.2006 ग्राम पंचायत टोंक छिलरी

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 03.11.2025

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस कदर पेश कि गई की, ग्राम टोंक ढ़ाका की ढ़ाणी पटवार हल्का टोंक छिलरी की सरहद में आराजी नये खसरा नमबर 128 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

129 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 130 रकबा 4.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 1.45 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 8.10 हैक्टर अवस्थित है उक्त आराजी में अपीलाण्ट के पिता सुलतान पुत्र भूरा का 1/4 हिस्सा था जिसके अपीलाण्ट के पिता रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार थे जो अपने जीवन काल में उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहे। अपीलाण्ट के पिता सुलतान पुत्र भूरा के स्वर्गवास के उपरान्त उनकी खातेदारी की भूमि का नामान्तकरण उनके वारिसान के नाम दर्ज होना चाहिए था उनकी मृत्यु के समय उनके विधिक प्रतिनिधि उनकी पुत्रिया अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 व 6 व पुत्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 व पत्नी रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 थे जिनके नाम से उनकी विरासत का नामान्तकरण दर्ज करना चाहिए था। परन्तु रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 ने तत्कालिन सरंपच ग्राम पंचायत टोंक छिलरी से साठ गाढ़ कर बाला बाला ही अपीलाण्ट के पिता सुलतान के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि का नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 20.02.2006 को अपने नाम से गलत विधि विरूद्ध तरीके से गलत तस्दीक करवा लिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट उक्त विधि विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 20.02.2006 के विरूद्ध अपील निम्नलिखित आधारो पर श्रीमान्जी की सेवामें पेश है :–

1. यह कि उक्त नामान्तकरण संख्या 32 जो दिनांक 20.02.2006 को तस्दीक किया गया है वह विधि, प्रक्रिया व साक्ष्य की अनदेखी करते हुए तस्दीक किये जाने से खारिज होने योग्य है।

2. यह कि अपीलाण्ट का पिता अपने जीवनकाल तक अपने कब्जे काश्त खातेदार की भूमि पर काबिज काश्त रहा है उनके फौत होने पर उनके उत्तराधिकारी अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 उनके हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हो गये। अपीलाण्ट के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी भूमि बाबत कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी अर्थात अपीलाण्ट के पिता के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि उनकी निर्वसियति सम्पति थी अपीलाण्ट के पिता सुल्तान के फौत होने पर उनके विधिक प्रतिनिधि उनकी पुत्रिया अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 व 6 व पुत्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 व पत्नी रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 थे जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम अनुसूची के वारिस है। जिनको सुल्तान के हिस्से की भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हो गई। अपीलाण्ट के पिता सुलतान की विरासत का नामान्तकरण उनके सभी वारिसान अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 के नाम से दर्ज करना चाहिए था परन्तु ग्राम पंचायत टोक छिलरी ने उक्त नामान्तकरण संख्या 32 अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये और स्व० सुलतान के सभी वारिसान अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 व 6 को छोडते हुए अकेले रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 के नाम से गलत दर्ज कर दिया बल्कि अपीलाण्ट स्व० सुल्तान की जायन्दा पुत्री है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार प्रथम अनुसूची की वारिस है जिसको स्व० सुलतान की विरासत से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत टोंक छिलरी ने उक्त नामान्तकरण संख्या 32 स्व० सुलतान के सभी वारिसान के नाम दर्ज नहीं करते हुए अकेले रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 के नाम से दर्ज कर गम्भिर कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट को उसके पिता की विरासत से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए उक्त नामान्तकरण खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
कवलगढ़

3. यह कि उक्त नामान्तकरण संख्या 32 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करके दर्ज किया गया है। कोई भी आदेश/निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार या हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए परन्तु उक्त नामान्तकरण अपीलाण्ट को बिना नोटिस् जारी किये व बिना सुनवाई का अवसर दिये बाला बाला ही अपीलाण्ट की बिना जानकारी के गलत रूप से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 के नाम से दर्ज किया गया है। इसलिए उक्त नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुए दर्ज किया गया है इस कारण ही उक्त नामान्तकरण खारिज होने योग्य है।
4. यह कि उक्त नामान्तकरण संख्या 32 अपीलाण्ट को बिना नोटिस जारी किये व बिना सुनवाई का अवसर दिये तस्दीक किया गया है जिसकी पूर्व में अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 30.05.2016 को अपीलाण्ट ने किसान क्रेडिट कार्ड की फाईल बनवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गई तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपके नाम जमीन नही है तब अपीलाण्ट अपने पति के साथ तहसील कार्यालय नवलगढ़ में आकर चारा जोही की और उक्त नामान्तकरण की नकल दिनांक 01.06.2016 को प्राप्त की तो उक्त विधि विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी हुई जिसके तुरन्त पश्चात ही अपीलाण्ट की ओर से उक्त अपील जानकारी होने के रोज से अन्दर मियाद श्रीमान्जी की सेवामें पेश है। इसके बावजूद भी किसी कारणवंश उक्त जानकारी से अपील अन्दर मियाद नहीं मानी जाती है तो अपीलाण्ट को धारा 5 गियाद अधिनियम का लाभ दिया जाकर अपील को अन्दर मियाद ग्रहण किया जावे जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी की सेवामें पेश है।
5. यह कि ग्राम पंचायत टोंक छिलरी ने उक्त नामान्तकरण संख्या 32 में अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बाला बाला ही रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 के नाम से दर्ज किया गया है अपीलाण्ट को उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही में पक्षकार नहीं बना गया है इसलिए अपीलाण्ट अन्तर्गत धारा 96 सी०पी०सी० की अनुमति लेकर उक्त अपील पेश की है। अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 का प्रार्थना पत्र अलग से श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
6. यह कि उक्त नामान्तकरण संख्या 32 सरपंच ग्राम पंचायत टॉक छिलरी द्वारा तस्दीक किया गया है जिसके विरूद्ध अपील सुनने का श्रीमानजी को पूरा पूरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
7. यह कि उक्त अपील 2/– रूपये कोर्ट फीस पर पेश है।
8. अतः अपील अपीलाण्ट पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर सरपंच ग्राम पंचायत टोंक छिलरी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 20.02.2006 को खारिज फरमाया जाकर अपीलाण्ट के पिता स्व० सुलतान की विरासत का नामान्तकरण पुनः स्व० सुलतान के सभी वारिसान अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 के नाम से दर्ज करने का आदेश फरमाये।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर की गई तथा तलबी रेस्पोडेन्टस की जारी की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1,2,4,7,8 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट सं. 5 व 6 की और से वकील श्री सुनील झाझोट उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 की और से वकील श्री सुरेश कुमार सिगड उपस्थित हुये।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

बहस उभय पक्ष द्वारा पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपने अपील प्रा. पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने विरोध करते हुये अपील अपीलान्ट बाहर मियाद पेश होने से खारीज करने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील के सम्बन्ध में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा. पत्र भी पेश किया है। अतः सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा. पत्र समुचित कारण दर्शित होने तथा पोषणीय होने से स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलान्ट की अपील अनुसार उसके पिता स्व० सुलतान की विरासत का नामान्तकरण बिना सुने तथा बिना सभी आवश्यक वारिसान की जॉच किये भरा गया है जो विधिसम्मत नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने बचाव में कोई ठोस उजर/एतराज पेश करने मे भी असमर्थ रहे है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा ग्राम पंचायत टोंकछिलरी द्वारा द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश सं. 32 दिनांक 20.02.2006 को तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण के सम्बन्ध में सभी पक्षकारों/मृतक के सभी वारिसानों को सुनकर तथा मृतक खातेदारों के वारिसानो/विरासत की पूर्ण रूप से जॉच किये जाने के उपरान्त उनका हिस्सा तय करते हुये, विधिसम्मत पाये जाने पर ही पुनः नामान्तकरण भरा जावे। तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू